:: न्यायालय–तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा जिला राजगढ (म.प्र.) ::

फाइलिंग क्रमांक : 1946 / 2026
सीएनआर क्रमांक : एमपी3905–002318–2026
जमानत आवेदन क्रमांक : बीए–257 / 2026
संस्थित दिनांक : 12.08.2026

सलमान खान पुत्र हसन मोहम्मद
उम्र– 32 वर्ष
निवासी– ग्राम फरदडी
आरक्षी केन्द्र बिछोर जिला नूह (हरियाणा)

—— **आवेदक / अभियुक्त**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र देहात ब्यावरा जिला राजगढ़(म.प्र.)

———— **अभियोजन**

आदेश दिनांक 14.08.2026

इस आदेश द्वारा आवेदक / अभियुक्त सलमान खान के प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भान्यासं का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से श्री आफताब अहमद खान अधिवक्ता।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश साहू उपस्थित।

प्रकरण आरक्षी केन्द्र देहात ब्यावरा की ओर से प्रतिवेदन सहित केस डायरी प्रस्तुति एवं जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र देहात ब्यावरा से अपराध क्रमांक 15 / 2026 के संबंध में केस डायरी प्रतिवेदन व आपराधिक रिकार्ड सहित प्राप्त, जिसके अनुसार अभियुक्त जाहिद खान के फरार होने से प्रकरण में धारा 193 (9) भानासुसं के अंतर्गत विवेचना जारी रखते हुये अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रतिवेदन में जमानत आवेदन पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक / अभियुक्त अधिवक्ता को प्रदान की गयी।

विचारण न्यायालय से प्रकरण आरसीटी क्रमांक 801 / 2026 का अभिलेख प्राप्त।

घटना के महत्त्वपूर्ण तथ्य –

अपराध के तथ्य	
घटना दिनांक	11.01.2026 समय 23:40–23:55 बजे के मध्य।
आरक्षी केन्द्र	देहात ब्यावरा

अपराध क्रमांक		15/2026		
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक		12.01.2026 समय 22:30 बजे।		
विधान/धारा		140(3), 309(4) भान्यासं		
अधिकतम संभावित दण्ड		14 वर्ष सश्रम कारावास		
प्रकरण क्रमांक		प्रकरण विवेचनाधीन		
विचारण/उपार्पण न्यायालय		श्री युवराज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा		
अभिरक्षा का ब्यौरा				
नाम		गिरफ्तारी दिनांक	अभिरक्षा अवधि	
			पुलिस अभि.	न्या. अभि.
सलमान		04.05.2026 समय 17:30 बजे।	दिनांक 05.05.2026 से 14.05.2026 तक	दिनांक 14.05.2026 से निरंतर
प्रकरण का प्रक्रम				
प्रक्रम		आरोप तर्क		
विचारण सक्षम न्यायालय		न्यायालय जेएमएफसी		
अंतिम प्रतिवेदन की साक्षी संख्या		13		
परीक्षित साक्षी संख्या		–		
जमानत आवेदन संबंधी ब्यौरा				
आवेदन का क्रम		धारा 483 भानासुसं के अंतर्गत प्रथम		
पूर्व आवेदन	दिनांक	–		
	परिणाम	–		
आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथपत्र का ब्यौरा				
नाम व पता		सनाउल्ला पुत्र आसु मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हाथिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा उ.प्र.		
अभियुक्त से संबंध		अभियुक्त का साला		
पूर्व आपराधिक इतिहास				
अभियुक्त	थाना	अपराध क्रमांक	धारा व विधान	
सलमान	नूंह हरियाणा	475/2020	398, 401 भादसं, 25 आयुध अधि.	
	पलवल हरियाणा	30/2023	25 आयुध अधि.	

आवेदन तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आवेदक की ओर से धारा 483 भानासुसं के अंतर्गत इस अपराध में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन किसी भी न्यायालय में विचाराधीन अथवा निराकृत नहीं हुआ है। आरक्षी केंद्र देहात ब्यावरा द्वारा आवेदक के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में

पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया, तब से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त फरदडी आरक्षी केन्द्र बिछोर जिला हरियाणा निवासी है, वही उसकी सम्पत्ति व परिवार है। वह परिवार का कर्ता होकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। फरियादी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त नहीं की गयी है। विवेचना पूर्ण होकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है। जमानत पर मुक्त किये जाने पर न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा। अतः उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जावे।

आवेदन के समर्थन में आवेदक के साले सनाउल्ला पुत्र आसु मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हाथिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा उ.प्र. ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि आवेदक की ओर से धारा 483 भानासुसं यह प्रथम आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, न विचाराधीन है, न ही पूर्व में निरस्त हुआ है।

अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश साहू द्वारा उक्त तथ्य को विवादित नहीं किया गया है।

सीआईएस पर देखने पर इस आवेदन पत्र के अतिरिक्त अभियुक्त का अन्य कोई भी जमानत आवेदन लंबित/निराकृत नहीं दिख रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर भी आरक्षी केन्द्र देहात ब्यावरा के अपराध क्रमांक 15/2026 के संबंध में अभियुक्त सलमान खान की ओर से प्रस्तुत कोई आवेदन लंबित/निराकृत नहीं दिख रहा है।

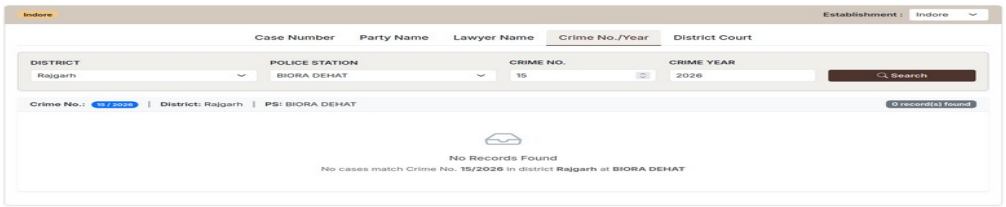

अभियुक्त अधिवक्ता ने मौखिक तर्क किया की अभियोजन द्वारा प्रकरण में कराई गई शिनाख्त कार्यवाही में फरियादी ने आवेदक की पहचान नहीं की है। एकत्रित साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है, अतः उसे जमानत पर छोडा जावे। तर्क के दौरान अभियुक्त के प्रस्तुत पूर्व आपराधिक इतिहास वाले प्रकरणों की आदेश पत्रिकाओं की प्रति प्रस्तुत कीं।

एजीपी श्री दिनेश साहू ने उक्त संबंध में निवेदन किया कि अभियुक्त पर वाहन लूटने का गम्भीर आरोप है, अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियोजन तथ्य संक्षेप में यह है कि बाम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक ताहिर मोहम्मद पुत्र वारिस मोहम्मद निवासी माता मण्ड मोहल्ला ब्यावरा के बडे भाई मोहम्मद रईस मंसूरी के पास ट्रोला क्रमांक एमपी 09 जेडवाई 9786 है। दिनांक 09.01.2026 से उक्त ट्रोला उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने खडा था। दिनांक 11.01.2026 की रात्रि में उसका क्लीनर शंकर उसी गाडी में सो रहा था। दिनांक को रात्रि 11:40 बजे लगभग जब क्लीनर शंकर ट्रोला गाड़ी में सो रहा था, 03 अज्ञात लोग आये और गाड़ी के कैबिन का गेट खोलकर उसमें घुस गए। उन्होंने क्लीनर के हाथ–पैर व मुंह बांधकर ट्रोला सहित गुना की तरफ कुछ दूर ले गए। इसके उपरांत क्लीनर को ट्रक से उतार कर एक कार में बिठा दिया। और दो लोग ट्रोला गुना की तरफ लेकर भाग गए। एक व्यक्ति क्लीनर को कार से ग्राम दुधी के पास बंद पड़े ढाबे में उतार कर भाग गया। जैसे–तैसे क्लीनर ने अपने आप को छुड़ाकर दुधी पहुंचकर किसी राहगीर से फोन लेकर ताहिर मोहम्मद को घटना के बारे में बताया। इसके पश्चात उसने ट्रोला की तलाश की, नहीं मिलने पर दिनांक 12.01.2026 को आरक्षी केंद्र देहात व्यावरा पहुंचकर घटना की सूचना दी। ताहिर मोहम्मद की सूचना पर आरक्षी केंद्र देहात ब्यावरा में अपराध क्रमांक 15/2026 अंतर्गत धारा 309(4), 140(3) भान्यासं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा तैयार किया गया, फरियादी व साक्षीगण के पुलिस कथन लेख किए गए, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए, समस्त साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 04.05.2026 को प्रकरण के सहअभियुक्त सलमान खान पुत्र हसन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सलमान खान ने मेमोरेण्डम सूचना में अभियुक्त जैद अहमद व जाहिद खान के साथ मिलकर घटना कारित करना बताया। बाद में घटना में प्रयुक्त वाहन ब्रेजा कार क्रमांक एचआर 96 ए 2853 को एचके मोटर्स सादिक नगर नूंह हरियाणा से अभियुक्त जैद मोहम्मद की निशादेही पर जप्त किया गया। अभियुक्त सलमान खान की सूचना पर ट्रक एमपी 09 जेडवाई 96 जिसका इंजन खुला हुआ था और इंजन नंबर 32जे64323234 अंकित था, को जप्त किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त जाहिद पुत्र नूर मोहम्मद फरार है, किन्तु अभियुक्त जैद अहमद व सलमान खान के अभिरक्षा के 90 दिवस पूर्ण होने के कारण अभियुक्त जाहिद खान को फरार दर्शाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जो प्रकरण आरसीटी क्रमांक 801/2026 पर पंजीबद्ध हुआ है।

अभियोजन कथानक के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरक्षी केन्द्र देहात ब्यावरा द्वारा अभियुक्त सलमान खान को क्लीनर के अपहरण व ट्रोला लूट के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त सलमान खान के संबध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, किन्तु अन्य फरार सहअभियुक्त जाहिद खान की तलाश जारी है। केसडायरी में अभियुक्त सलमान खान का पूर्व आपराधिक इतिहास भी संलग्न है, जिसके

अनुसार उसके विरूद्ध अन्य 02 मामले पंजीबद्ध हैं, जो चोरी व लूट जैसे अपराधों से संबंधित है। अभियुक्त के कृत्य के दृष्टिगत जमानत का लाभ दिये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने, फरार होने और अभियोजन साक्ष्य को प्रतिकूलतः प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत् अभियुक्त सलमान खान को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त सलमान खान पुत्र हसन मोहम्मद का प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण में संलग्न कर विचारण न्यायालय की ओर प्रेषित की जावे तथा एक प्रति केसडायरी में सलंग्न कर संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस की जावे।

आपराधिक नियम 117(ख) के प्रावधान के आलोक में आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदक/अभियुक्त पक्ष को प्रदान की जाकर आदेश पत्रिका पर प्राप्ति ली जावे।

परिणाम सीआईएस में दर्ज कर प्रकरण विधिवत अभिलेखागार भेजा जावे।

HEMANT SINGH
Digitally signed by HEMANT SINGH
Date: 2026.08.14 17:19:59 +0530

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
ब्यावरा जिला राजगढ (म.प्र.)